सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 104/प्रा0पत्र/2025

दायरा दिनांक :–30.04.2025

उनवान

1. सत्यप्रकाश आ0 गोरधन जाति मीणा निवासी डेलपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 23.06.2025

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 699 खसरा संख्या 2303/235 रकबा 0.2428 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2428 हैक्टेयर वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमियों पर आने जाने का रास्ता डामर रोड से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 235 में होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 2303/235 पर जाता है, जो मौके पर करीब 30 फिट चौडा है, जिस पर होकर प्रार्थी अपनी भूमियों पर आता जाता है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विभिन्न प्रकार की समस्याए आ रही है। तथा भविष्य में उक्त रास्ते की जगह पर अतिक्रमण होने की संभावना है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का उक्त सिवायचक भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उपरोक्त रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि तक आने जाने हेतु 251 ए आर0टी0एक्ट के तहत सिवायचक भूमि खसरा संख्या 235 में से 30 फिट चोडा रास्ता घोषित करवाना चाहता है, इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मौजूदा रास्ते को

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब ने निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी की खाते की भूमि ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 699 खसरा संख्या 2303/235 रकबा 0.2428 हैक्टेयर वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा में आने जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा संख्या 235 में से 30 फिट रास्ता घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड रानीपुरा में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/960 दिनांक :–05.06.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2303/235 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल रानीपुरा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 235 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है, में से होते हुए 30 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत निर्धारित प्रतिकर रा‍ि ा जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं0 2303/235 वाके ग्राम रानीपुरा में आने जाने हेतु खसरा संख्या 235 राजकीय सिवायचक भूमि में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता लघुतम है, प्रार्थी को उक्त रास्ते की आंत्यातिक अव यकता होना अंकित किया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 699 के खसरा संख्या 2303/235 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मण्डल

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

रानीपुरा में आने–जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रानीपुरा के राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 235 (बंजड) में से कुल 30 फीट चौडे व 56 फ़ीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0156 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 5740000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0156 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 89544/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 179088/रू को निर्धारित मद में प्रार्थी द्वारा राजकोश में जमा करवाकर चालान प्रति न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 23.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446